

न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जारिये रिपोर्ट पटवारी हल्का अमरी बनाम हिमत पुत्र कटुन फकीर कोटसी 771005
 प्रथम अर्जगत धारा 91 पलवार धुंढ

निर्णय दिनांक :- 3-8-18

प्रकरण संख्या 47

प्रभावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि याम कोटसी का 771001
 की आ.ख.न. 701 रकबा 1.06 विरम जमीन ओ.श.पोष में से 001 (विद्ये)
 रकबा पर भी हिमत पुत्र कटुन फकीर पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर 001 45
 (विद्ये) 5106 कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का अमरी द्वारा दिनांक 5-7-18


को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय लाईस
 भू.अ.निरी. दाशोदा के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया
 जाकर अतिक्रमी हिमत पुत्र कटुन फकीर जाति फकीर निवासी कोटसी का 771001
 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील
 कराई गई। नोटिस वाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी हिमत पुत्र
फकीर उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ.ख.न. 701 रकबा 1.06 में से 001 पर विद्ये
 रकबा किरम ओ.श.पोष है जो नियमन के योग्य नहीं है द्विहाजा वीरसायम को अतिक्रमित
 रकबा से वेदखल किया जाने के आदेश दिने जाते हैं एवं दण्ड स्वरूप जमान 0.6.6 रु
 50 गुणा 3.00 रुपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांवा कायमी हेतु टीआरए को लिखा
 जावे, पैनल्टी वसूली एवं वेदखली हेतु हल्का पटवारी अमरी भू.अ.निरी. दाशोदा
 को लिखा जाकर वाद तकमील दाखिल दपतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में
 सुनाया गया।

तहसीलदार
 कठूमर (अलवर) राज.

आतिलप - फ. ह.

दि. 4 के 18 त 41 नम 5
 2018-19 तहसी पटवारी फ. 3/


 कठूमर (अलवर) राज.

कठूमर (अलवर) राज.